[2018] 1 एस.सी.आर. 790

शफी मोहम्मद

बनाम

हिमाचल प्रदेश राज्य

विशेष अनुमति याचिका (क्रि.) सं. 2302/2017

30 जनवरी, 2018

आदर्श कुमार गोयल और उदय उमेश ललित, जेजे।

साक्ष्य अधिनियम, 1872: धारा 65 बी (4)-जांच के दौरान अपराध के दृश्य या वसूली के दृश्य की वीडियोग्राफी-इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य-की स्वीकार्यता-प्रक्रियात्मक आवश्यकता-अभिनिर्धारित किया गया कि यदि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रामाणिक और प्रासंगिक है तो निश्चित रूप से उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। अदालत अपनी प्रामाणिकता और प्रक्रिया के बारे में संतुष्ट होने के लिए, इसकी स्वीकार्यता के लिए तथ्य की स्थिति पर निर्भर कर सकती है जैसे कि इस तरह के साक्ष्य का उत्पादन करने वाला व्यक्ति एस 65 बी (4) के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में है या नहीं। एक पक्षकार जिसके क़ब्ज़े में वह उपकरण नहीं है, जहां से दस्तावेज़ का तैयार किया जाता है, उसे एस 65 बी (4) के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है-प्रमाण पत्र की आवश्यकता की प्रयोज्यता प्रक्रियात्मक होने के कारण न्यायालय द्वारा शिथिल किया जा सकता है जहां न्याय का हित उचित है-प्रयोज्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के एस 65 बी (4) के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकता को केवल तभी लागू किया जाना चाहिए जब इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का उत्पादन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो इस तरह के प्रमाण पत्र के नियंत्रण में होने की स्थिति में है।

ऐसे मामले में जहां इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एक पार्टी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिसके क़ब्ज़े में उपकरण नहीं है, वहाँ पर धारा 63 और 65 की प्रयोज्यता को बाहर नहीं रखा जा सकता है-ऐसे

मामले में, उक्त के तहत प्रक्रिया खंडों को निश्चित रूप से लागू किया जा सकता है-यदि इसकी अनुमति नहीं है, तो यह उस व्यक्ति को न्याय से वंचित करेगा जो प्रामाणिक साक्ष्य/गवाह के कब्जे में है, लेकिन साबित करने के तरीके के कारण, इस तरह के दस्तावेज को अदालत द्वारा विचार से बाहर रखा जाता है।

धारा 65 बी (4) के तहत प्रमाण पत्र का अर्थ जो पार्टी का उत्पादन संभवतः सुरक्षित नहीं हो सकता है-इस प्रकार, एस 65 बी (4) के तहत प्रमाण पत्र की आवश्यकता हमेशा अनिवार्य नहीं होती है-सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000-एसएस. 2 (टी), 2 (0)।

टोमासो ब्रूनो और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2015)

7 एससीसी 178: [2015] 1 एससीआर 721; राम सिंह और अन्य बनाम कर्नल राम सिंह (1985) सप्लीमेंट एससीसी 611: [1985] सप्ल। तुकाराम एस. दिघोल बनाम मणिकराव शिवाजी कोकाटे (2010) 4 एससीसी 329: [2010] 2 एससीआर 396; मो. अजमल अमीर कसाब बनाम महाराष्ट्र राज्य (2012) 9 एससीसी 1: [2012] 8 एससीआर 295; राज्य (दिल्ली का एनसीटी) बनाम नवजोत संधू (2005) 11 एससीसी 600: [2005] 2 सप्ल. एससीआर 79; अनवर पी. वी. वी. पीके. बशीर और ओआरएस. (2014) 10 एससीसी 473: [2014] 11 एससीआर 399-संदर्भित आर. वी. मकसूद अली (1965) 2 ऑल ईआर 464; आर. वी. रॉबसन (1972) 2 एएलएल ईआर 699-संदर्भित

केस लॉ संदर्भ-

[1985] सप्ल. एससीआर 399 पैरा 3 [2010] 2 एससीआर 396 पर निर्भर करता है जिसे पैरा 4 [2015] 1 एससीआर 721 जो पैरा 5 [2012] 8 एससीआर 295 पर निर्भर करता है जिसे पैरा 5 [2005] 2 सप्ल. एससीआर 79 को पैरा 5 [2014] 11 एससीआर 399 को पैरा 6 के लिए संदर्भित किया गया

क्रिमिनल अपीलेट ज्यूरिफिकेशनः स्पेशल लीव याचिका (आपराधिक) सं. 2017 का 2302

हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय शिमला पीठ द्वारा आपराधिक अपील संख्या 404।2009 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 26.06.2014 से, एसएलपी (क्रि.) संख्या 9431/2011; एसएलपी (क्रि.) संख्या 9631-9634/2012

जयंत भूषण, (एसी), सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा. (ए. सी.), यशांक अधारू, सुश्री वी. मोहना, सीनियर सलाहकार. केतन पॉल, सुश्री रीजा वर्गीज, तुषार भूषण, सुश्री अनन्य घोष, रितुज चोपड़ा (डॉ. अरुण मोहन के लिए, वरिष्ठ सलाहकार. (एसी), सुश्री ईआर सुमति, भारत भूषण, सुश्री जसप्रीत गोगिया, राज कमल, सुश्री मंदाकिनी सिंह, सुश्री शिरिन खजुरिया, सुश्री संस्कृति भारद्वाज, सुश्री आयुषी गौर, बीवी बलराम दास, सुश्री आशा जी नायर, ज़ोहेब हुसैन, सुश्री रुक्मिणी बोबडे, कुमार शशांक, बी. वी. बलराम दास, अजय मारवाह, सुश्री सीमा शर्मा, वरिंदर के. शर्मा, करण ठाकुर, विकास महाजन, विनोद शर्मा, अरुण सिंह, सुश्री अनुराधा मुतकर, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 1 एससीसीआर।

सुश्री जसप्रीत गोगिया, राज कमल, सुश्री मंदाकिनी सिंह, भारत भूषण, सलाहकार। उपस्थित होने वाले पक्षकारों के लिए उनके साथ। एसएलपी (क्रि.) संख्या 2302/2017।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया:

1. इस मामले पर विचार करने के दौरान जो सवाल उठे थे, उनमें से एक यह था कि क्या एकत्र किए गए सबूतों में विश्वास को प्रेरित करने के लिए जांच के दौरान अपराध के दृश्य या वसूली के दृश्य की वीडियोग्राफी आवश्यक होनी चाहिए।

2. आदेश दिनांक 25 अप्रैल, 2017 को श्री एएनएस नाडकर्णी, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का बयान इस आशय के लिए दर्ज किया गया है कि वीडियोग्राफी जांच में मदद करेगी और अन्य देशों में सफलतापूर्वक उपयोग की जा रही थी। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में "बॉडी-वॉर्न कैमरों" के कथित लाभों का उल्लेख किया। शरीर-पहने कैमरे असामाजिक व्यवहार के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य करते हैं और साक्ष्य एकत्र करने के लिए एक उपकरण भी है। यह प्रस्तुत किया गया था कि नई तकनीकी युक्ति साक्ष्य संग्रह के

लिए वर्तमान समय की आवश्यकता है। उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फील्ड ऑफिसर्स हैंडबुक का भी उल्लेख किया। सीआरपीसी की धारा 54-ए का भी संदर्भ दिया गया था। पहचान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के लिए प्रदान करना और धारा 164 (1) सीआरपीसी के लिए अनंतिम। उक्त प्रावधान के तहत स्वीकारोक्ति या बयान की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग प्रदान करना।

3. तत्पश्चात, 12 अक्टूबर, 2017 के आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि इस मामले पर केंद्रीय गृह सचिव द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ चर्चा की गई थी, जिसमें सुविधा के लिए विशेषज्ञों की एक समिति (सीओई) का गठन करने का निर्णय लिया गया था। अपराध स्थल में वीडियोग्राफी के उपयोग के लिए एक रोड-मैप तैयार करें और एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का प्रस्ताव दें। हालांकि, धन की कमी, सुरक्षित करने और भंडारण के मुद्दों के कारण इसके कार्यान्वयन के बारे में एक आशंका व्यक्त की गई थी, डेटा और साक्ष्य की स्वीकार्यता। हमने सुझाव दिया कि फोरेंसिक विश्लेषण के लिए उच्च रिज़ॉल्यूशन के कारण अभी भी फोटोग्राफी उपयोगी हो सकती है। डिजिटल कैमरों को एक तिपाई पर एक माउंट पर रखा जा सकता है जो रोटेशन और झुकाव को सक्षम कर सकता है। सुरक्षित पोर्टल स्थापित किए जा सकते हैं जिसके द्वारा जांच अधिकारी अपराध स्थल पर ली गई तस्वीर (ई) ई-मेल कर सकते हैं। डिजिटल छवियों को स्थायी रिकॉर्ड के रूप में राज्य के सर्वर पर रखा जा सकता है।

एसएलपी (क्रि.) सं. 9431/2011:

1. चूंकि 12 अक्टूबर, 2017 के आदेश में उल्लिखित इस विशेष अनुमति याचिका में विचार के लिए समान प्रश्न उत्पन्न हुआ था, इसलिए हमने विद्वान एमिकस, श्री जयंत भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री अनन्य घोष, अधिवक्ता, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता के सवाल पर सुना। हमने श्री यशंक अधयारू वरिष्ठ वकील को भी सुना है, और सुश्री शिरिन खजुरिया, विद्वान वकील, भारत संघ के लिए उपस्थित हुए।

2. साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी (4) के तहत शर्तों की प्रयोज्यता के सवाल पर एक आशंका व्यक्त की गई थी कि यदि कोई बयान साक्ष्य में दिया गया था, तो एक जिम्मेदार व्यक्ति के कब्जे वाले व्यक्ति से उक्त प्रावधान के संदर्भ में एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। संबंधित उपकरण के संचालन या प्रासंगिक गतिविधियों के प्रबंधन के संबंध में। यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रासंगिक था और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्मित किया गया था जो डिवाइस की हिरासत में नहीं था। जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज उत्पन्न किया गया था, ऐसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता अनिवार्य नहीं हो सकती है। यह प्रस्तुत किया गया था कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी प्रासंगिक स्वीकार्य साक्ष्य को साबित करने के लिए एक प्रक्रियात्मक प्रावधान था और इस बिंदु पर कानून को पूरक करने का इरादा था कि उक्त प्रावधान द्वारा कवर किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में किसी भी जानकारी को समझा जाए। मूल के आगे प्रमाण के बिना किसी भी कार्यवाही में एक दस्तावेज को स्वीकार्य किया जाएगा। यह प्रावधान इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता पर मौजूदा कानून के विरुद्ध नहीं माना जाएगा।

3. हम कुछ निर्णयों के माध्यम से विचार में लेते हैं, जिन्हें संदर्भित किया जा सकता है। राम सिंह और अन्य बनाम कर्नल राम सिंह, 1985 (सप्लीमेंट) एससीसी 611 में, तीन-न्यायाधीश पीठ ने उक्त मुद्दे पर विचार किया। आर। वी। मैगसूद अली, (1965) 2 ऑल ईआर 464, और आर. वी. रॉबसन, (1972) 2 ऑल ईआर 699, और अमेरिकी कानून के रूप में अमेरिकी न्यायशास्त्र 2 डी (वॉल्यूम. 29) पृष्ठ 494 में उल्लेख किया गया है, इस आशय के अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था कि नई तकनीकों और नई तकनीकों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले साक्ष्य लाभ के कानून से इनकार करना गलत होगा, बशर्ते रिकॉर्डिंग की सटीकता साबित हो सकती है। इस तरह के सबूतों को हमेशा कुछ सावधानी के साथ माना जाना चाहिए और प्रत्येक मामले की सभी परिस्थितियों के प्रकाश में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को उसी की प्रामाणिकता के बारे में न्यायालय द्वारा अपनाए गए सुरक्षा उपायों के लिए स्वीकार्य विषय माना गया था। टेप-रिकॉर्डिंग के मामले में यह देखा गया कि स्पीकर की आवाज को विधिवत पहचाना जाना चाहिए, बयान की सटीकता की आवश्यकता थी।

रिकॉर्ड के निर्माता द्वारा साबित किया गया था, छेड़छाड़ की संभावना को खारिज करने की आवश्यकता थी। साक्ष्य के भाग की विश्वसनीयता निश्चित रूप से एक तथ्यात्मक स्थिति के परिस्थितियों में निर्धारित की जाने वाली बात है। हालांकि, एक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की दहलीज स्वीकार्यता को किसी भी तकनीकीता पर खारिज नहीं किया जा सकता है यदि वही प्रासंगिक था।

4. तुकाराम एस। दिघोल बनाम मणिकराव शिवाजी कोकाटे, (2010) 4 एससीसी 329 में, एक ही सिद्धांत दोहराया गया था। इस न्यायालय ने देखा कि नई तकनीक और उपकरण समय की आवश्यकता हैं। हालांकि इस तरह के उपकरण छेड़छाड़ के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं, कोई भी संपूर्ण नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है जिसके द्वारा ऐसे साक्ष्य के प्रवेश का न्याय किया जा सकता है। इसकी प्रामाणिकता और सटीकता के प्रमाण के मानक को अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों की तुलना में अधिक कठोर होना चाहिए।

5. टोमासो ब्रूनो और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2015) 7 एससीसी 178, एक तीन-न्यायाधीश पीठ ने अवधारित किया कि सूचना प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक स्वभाव की उन्नति को जांच की विधि में व्याप्त होना चाहिए। तथ्यों को स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रासंगिक थे। वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एक जांच एजेंसी के लिए एक बड़ी मदद हो सकती है। मोहम्मद में इस न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ दिया गया था। अजमल अमीर कसाब बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2012) 9 एससीसी 1 और राज्य (दिल्ली का एनसीटी) बनाम नवजोत सन्धू, (2005) 11 एससीसी 600।

6. हालाँकि, अनवर पी. बनाम पी. के. बशीर और अन्य, (2014) 10 एससीसी 473 में इस न्यायालय के तीन-न्यायाधीश पीठ द्वारा दिये निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं। वी।, पैरा 24 में उक्त निर्णय में यह देखा गया कि प्राथमिक साक्ष्य के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 62 द्वारा कवर किया गया था, जिसमें साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी की प्रक्रिया स्वीकार्य नहीं थी। हालांकि, द्वितीयक साक्ष्य के लिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी की प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक था और इसके विपरीत नवजोत संध (सुप्रा) में मतव्यक्त किया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के द्वितीयक साक्ष्य को साक्ष्य अधिनियम की धारा

63 और 65 के तहत कवर किया जा सकता है, सही नहीं था। हालांकि, पैरा 14 में इस आशय के अवलोकन हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के अनुसार साबित किया जा सकता है।

7. हालांकि टोमासो ब्रूनो और राम सिंह (सुप्रा) में तीन-न्यायाधीश पीठ के निर्णयों के मद्देनजर, यह सुरक्षित रूप से आयोजित किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य स्वीकार्य हैं और साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 ए और 65 बी के तहत प्रावधान एक स्पष्टीकरण के माध्यम से हैं और प्रक्रियात्मक प्रावधान हैं। यदि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्रामाणिक और प्रासंगिक हैं, तो निश्चित रूप से न्यायालय को इसके बारे में संतुष्ट होने के अधीन स्वीकार किया जा सकता है। इसकी स्वीकार्यता के लिए प्रामाणिकता और प्रक्रिया तथ्य की स्थिति पर निर्भर कर सकती है जैसे कि इस तरह के साक्ष्य का उत्पादन करने वाला व्यक्ति धारा 65 बी (एच) के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में है या नहीं।

8. साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 ए और 65 बी को विषय पर एक पूर्ण कोड नहीं माना जा सकता है। अनवर पी. वी. (सुप्रा), पैरा 24 में इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्राथमिक साक्ष्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 ए और 65 बी के तहत कवर नहीं किए गए थे। प्राथमिक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज है और अभिव्यक्ति "दस्तावेज" को साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ किसी भी पदार्थ पर पत्र, आंकड़े या निशान के माध्यम से व्यक्त या वर्णित किसी भी मामले से है। उन साधनों में से एक से अधिक, जिसका उपयोग करने का इरादा है, या जिसका उपयोग उस मामले को रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से किया जा सकता है।

9. शब्द "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 (टी) में परिभाषित किया गया हैः

"इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड" का अर्थ है डेटा, रिकॉर्ड या डेटा उत्पन्न, छवि या ध्वनि संग्रहीत, प्राप्त या इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा गया या माइक्रो फिल्म या कंप्यूटर उत्पन्न माइक्रो फिशे।

10. अभिव्यक्ति "डेटा" को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2 (0) में परिभाषित किया गया है।

"डेटा" का अर्थ है सूचना, ज्ञान, तथ्यों, अवधारणाओं या निर्देशों का प्रतिनिधित्व जो तैयार किए जा रहे हैं या औपचारिक तरीके से तैयार किए गए हैं, और संसाधित करने का इरादा है, संसाधित किया जा रहा है या कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में संसाधित किया गया है, और किसी भी रूप में हो सकता है (कंप्यूटर प्रिंटआउट चुंबकीय या ऑप्टिकल भंडारण मीडिया, छिद्रित कार्ड, छिद्रित टेप सहित) या कंप्यूटर की स्मृति में आंतरिक रूप से संग्रहीत।

11. साक्ष्य प्रस्तुत करने के साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी (4) के तहत प्रक्रियात्मक आवश्यकता की प्रयोज्यता केवल तभी लागू की जानी चाहिए जब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उत्पादित किए जाते हैं जो उक्त उपकरण के नियंत्रण में होने वाले ऐसे प्रमाण पत्र का उत्पादन करने की स्थिति में हो। विपरीत पार्टी का नहीं। ऐसे मामले में जहां इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एक पार्टी द्वारा उत्पादित किया जाता है जो एक उपकरण के कब्जे में नहीं है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 और 65 की प्रयोज्यता को बाहर नहीं रखा जा सकता है। ऐसे सी में उक्त धाराओं के तहत प्रक्रिया निश्चित रूप से लागू की जा सकती है। यदि इसकी अनुमति नहीं है, तो यह उस व्यक्ति को न्याय से वंचित करेगा जो प्रामाणिक साक्ष्य/गवाह के कब्जे में लेकिन साबित करने के तरीके के आधार पर, इस तरह के दस्तावेज को साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी (4) के तहत प्रमाण पत्र के अभाव में अदालत द्वारा विचार से बाहर रखा जाता है, जो पार्टी का उत्पादन संभवतः सुरक्षित नहीं हो सकता है। इस प्रकार, धारा 65 बी (एच) के तहत प्रमाण पत्र की आवश्यकता हमेशा अनिवार्य नहीं होती है।

12. तदनुसार, हम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता पर विषय पर कानूनी स्थिति को स्पष्ट करते हैं, विशेष रूप से एक पार्टी द्वारा जो उस उपकरण के कब्जे में नहीं है जहां से दस्तावेज़ का उत्पादन किया जाता है। ऐसी पार्टी को साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी (4) के तहत प्रमाण पत्र का उत्पादन करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। प्रमाण पत्र की आवश्यकता की प्रक्रियात्मकता को न्यायालय द्वारा शिथिल किया जा सकता है जहां न्याय का हित उचित है।

13. शेष पहलुओं पर विचार करें, जिसमें अपराध स्थल और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में वीडियोग्राफी के उपयोग के लिए रोड-मैप को अंतिम रूप देना शामिल है, हम मामले को 13 फरवरी, 2018 तक स्थगित कर देते हैं।

14. हम विद्वान एमिकस, श्री जयंत भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता, जिन्हें सुश्री अनन्य घोष, अधिवक्ता, साथ ही श्री यशांक द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता के लिए अपनी गहरी प्रशंसा दर्ज करते हैं। वरिष्ठ वकील, और सुश्री शिरीन खजूरिया, विद्वान वकील, भारत संघ के लिए उपस्थित हुए।

स्पष्टीकरण दिया गया।

देविका गुजराल

Jai Shankar Mishra